



Neutral Citation No. - 2026:एचसी:61131

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3927/2026

पुष्पेंद्र सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: प्रेम सागर वर्मा, राहुल कुमार

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:

"(i) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 47/2026 (कंप्यूटर मुकदमा अपराध संख्या C202603000000047), पुष्पेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 6 के तहत, पुलिस स्टेशन पंकी, पुलिस आयुक्त कार्यालय, कानपुर नगर में दिनांक 09.02.2026 को पारित आदेश को निरस्त करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जहां तक यह स्थगन आवेदन (अनुलग्नक संख्या 3) की अस्वीकृति से संबंधित है।

(ii) प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 07.01.2026 को पारित निष्कासन आदेश (अनुलग्नक संख्या 1) के संचालन और प्रभाव पर रोक लगाने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जब तक कि प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष वैधानिक अपील लंबित है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii). प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त अपील का यथाशीघ्र, अधिमानतः इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय करने का आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के तहत संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्त कार्यालय कानपुर नगर द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध 07.01.2026 को निष्कासन आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त आदेश दिनांक 07.01.2026 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने संभागीय आयुक्त, कानपुर मंडल, कानपुर के समक्ष अपील/मुकदमा संख्या 47/2026 दायर की। संभागीय आयुक्त, कानपुर मंडल, कानपुर ने अपील स्वीकार कर ली, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को संभागीय आयुक्त, कानपुर मंडल, कानपुर ने दिनांक 09.02.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

आगे निवेदन किया गया है कि यदि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील/ मुकदमा संख्या 47/2026 का निकट भविष्य में निस्तारण नहीं किया जाता है, तो अपील दायर करने का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। उन्होंने आगे निवेदन किया कि कानपुर मंडल, कानपुर के संभागीय आयुक्त को अपील/ मुकदमा संख्या 47/2026 (पुष्पेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) का यथाशीघ्र निस्तारण करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. आगे यह निवेदन किया गया है कि संभागीय आयुक्त, कानपुर मंडल, कानपुर को दिनांक 07.01.2026 के आक्षेपित आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा देनी चाहिए थी। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उचित प्रयोग नहीं किया, बल्कि लापरवाही और उपेक्षापूर्ण ढंग से किया है। अतः संभागीय आयुक्त, कानपुर मंडल, कानपुर द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पारित आक्षेपित आदेश इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान रिट याचिका में की गई प्रार्थना का विरोध किया है। उनका निवेदन है कि दिनांक 09.02.2026 का आक्षेपित आदेश पूर्णतः न्यायसंगत और वैध है तथा इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हालांकि, विद्वान ए.जी.ए. ने यह स्वीकार किया है कि यदि अपील का निर्णय छह महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह निष्फल हो जाएगी, क्योंकि आक्षेपित आदेश दो महीने से अधिक समय पहले पारित किया जा चुका है।

**अस्वीकरण:** "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि दिनांक 07.01.2026 के निष्कासन आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील में स्थगन आवेदन को अस्पष्ट निष्कर्ष के आधार पर खारिज कर दिया गया है। उक्त निष्कर्ष के समर्थन में आक्षेपित आदेश में आधार मौजूद है। अपीलीय प्राधिकारी यह विचार करने में विफल रहे हैं कि निष्कासन आदेश की अवधि छह महीने है और इसके गंभीर दीवानी परिणाम भी होते हैं। फलस्वरूप, दिनांक 09.02.2026 का आक्षेपित आदेश विधिवत रूप से मान्य नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार, यह रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है। अपील संख्या 47/2026 (पुष्पेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात् संभागीय आयुक्त, कानपुर संभाग, कानपुर द्वारा दिनांक 09.02.2026 को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 6 के तहत पारित आदेश को **निरस्त** किया जाता है।

8. अपीलीय प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर निर्णय करेगा। यह भी प्रावधान है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय सुनाए जाने तक संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्त कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 07.01.2026 को पारित आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

ए.पी. पांडे

**अस्वीकरण:** "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"